न्यायालयः-द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0) समक्षः-दिलीप सिंह

<u>आर.सी.एस.ए-300020 / 2016</u> <u>संस्थित दिनांक-28.05.2016</u> फाई.क.5005000469 / 2016

सोनारिनबाई, उम्र–50 वर्ष, पति लक्ष्मण, जाति मरार, निवासी–बैहर, तह. बैहर, जिला बालाघाट म.प्र.

....वादिनी

-// <u>विरूद</u>्ध//-

1–इन्द्रदास, उम्र–50 वर्ष, पिता लक्ष्मणदास जाति पनिका, 2-गीताबाई, उम्र-40 वर्ष, पति इन्द्रदास, जाति पनिका, 3–अनामिका, उम्र–30 वर्ष, पिता इन्द्रदास, जाति पनिका, 4—लता, उम्र–25 वर्ष, पिता लक्ष्मणदास, जाति पनिका, 5-सुमरनदास, उम्र-55 वर्ष, पिता लक्ष्मणदास, जाति पनिका, 6—सतेन्द्रदास, उम्र–25 वर्ष, पिता सुमरनदास, जाति पनिका, 7—भुरुबाई, उम्र–50 वर्ष, पति सुमरनदास, जाति पनिका, 8–गजेन्द्र, उम्र–25 वर्ष, पिता सुमरनदास, जाति पनिका, 9-उमा, उम्र-24 वर्ष, पति संजू, जाति पनिका, 10—इतवारीदास, उम्र–56 वर्ष, पिता जंगीदास, जाति पनिका, 11—दिनेशदास, उम्र–30 वर्ष, पिता इतवारीदास, जाति पनिका, 12-मुन्नीबाई, उम्र-50 वर्ष, पति इतवारीदास, जाति पनिका, 13-विनिता, उम्र-35 वर्ष, पति मुकेश, जाति पनिका, 14-लता, उम्र-30 वर्ष, पति निर्तेश, जाति पनिका, 15-माया, उम्र-28 वर्ष, पति दिनेशदास, जाति पनिका, 16—शक्नबाई, उम्र–55 वर्ष, पति अमृतदास, जाति पनिका, सभी निवासी-बैहर, तहसील बैहर, जिला बालाघाट

17—मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा कलेक्टर, बालाघाट 🃜

______<u>___</u>___

-//<u>निर्णय</u>//-

(आज दिनांक—27,11.2017 को घोषित)

- 1. वादिनी ने यह वादपत्र स्थाई निषेधाज्ञा एवं क्षतिपूर्ति राशि प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किया है।
- 2. वादिनी का वादपत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिनी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ख.नं-425/2ख रकबा 2.12/0.857, ख.नं-425/2ग रकबा 1.02/0.412 मौजा बैहरमाल प.ह.नं-17/1 रा.नि.मं. व तह. बैहर, जिला बालाघाट में स्थित है। उक्त भूमि बादिनी के कब्जे में उसके पिता के समय से चली आ रही है। दिनांक-30.01.16 को इन्द्रदास व सुमरनदास ने सुन्दरदास, अमृतदास,

दिनेशदास, गजेन्द्र, भुरूबाई, गीताबाई के साथ अनाधिकृत प्रवेश किया था एवं वादिनी की जमीन को खोदकर उसमें ईंटो का निर्माण करना शुरू कर दिया था। वादिनी एवं उसके पुत्र ने मना किया था रिपोर्ट की थी, तब उक्त प्रतिवादीगण ने ईट बनाना बंद किया था। दिनांक—14.05.16 को प्रतिवादीगण, वादिनी की भूमि पर अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर वादिनी की सीमेन्ट खम्बे से निर्मित रूधान तथा फेंसिंग तार लगी हुई थी, उसे तोड़ फोड़कर खम्बे नष्ट कर दिये थे तथा 3000/—रूपये के फेंसिंग तार उठाकर ले गए थे। वादिनी द्वारा मना करने पर प्रतिवादीगण झगड़ा करने उतारू हो गए थे एवं अश्लील गालियां देने लगे थे। प्रतिवादीगण कह रहे थे कि वह जमीन पर कब्जा करेंगे। वादिनी प्रतिवादीगण की धमकी से भयभीत हो गई थी। प्रतिवादीगण वादिनी के करीब 20 खम्बे तोड़कर करीब 7,000/—रूपये की क्षति पहुंचाई थी। प्रतिवादीगण द्वारा मानचित्र में दर्शाया गया अ,ब भू भाग को लाल स्याही से चिन्हित है कि सीमा के खम्बे तोड़कर कुल 10,000/—रूपये की क्षति पहुंचाई थी। वादिनी, प्रतिवादीगण से उक्त क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने की अधिकारी है। वादिनी ने उसके वादपत्र की प्रार्थना के अनुसार उसके पक्ष में डिकी दिये जाने का निवेदन किया है।

- 3. प्रकरण में प्रति.क.—1 लगा. 16 ने वादिनी के वादपत्र का जवाब प्रस्तुत कर वादिनी के वादपत्र को अस्वीकार कर उनके विशेष कथन में बताया है कि ख. नं—287/1/क/1 रकबा 31.994 शासकीय मद की भूमि वादिनी की भूमि से लगी हुई है, जिस पर प्रतिवादीगण का 30—35 वर्षों से कब्जा है। उक्त भूमि की पूर्व दिशा में कच्चा रास्ता है, जिस पर से वादिनी आना—जाना करती है। प्रतिवादीगण ने विवादित भूमि ख.नं—425/2ख रकबा 2.12ए ख.नं—425/2ग रकबा 1.02ए भूमि पर प्रवेश नहीं किया था और ना ही भूमि पर ईट का कोई निर्माण किया है और ना ही तार, बाड़ी रूंधान से कभी छेड़छाड़ नहीं की है। वादिनी एवं उसका पति झगडालू प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। प्रतिवादीगण की भूमि को हड़पने की नियत से झूठा आवेदन न्यायालय में पेश किया है। प्रति.क.1 से 16 ने वादीगण का वादपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।
- 4. प्रकरण में प्रति.क.—17 दिनांक—27.10.16 को एकपक्षीय हुआ हैं। इस कारण प्रति.क.—17 की ओर से वादिनी के वादपत्र का जवाबदावा नहीं दिया गया है।
- 5. प्रकरण में तत्कालीन विद्वान पूर्व पीठासीन अधिकारी ने प्रकरण में निम्नलिखित वादप्रश्न विरचित किये थे, जिनके सम्मुख मेरे द्वारा विवेचना उपरांत निष्कर्ष अंकित किये गए।

क मां क	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या वादी के स्वत्व आधिपत्य की भूमि मौजा बैहरमाल, प.ह.नंबर 17/1 खसरा नंबर—425/2ख रकबा 2.12/0.857, खसरा नंबर 425/2ग रकबा 1.02/0. 412 पर प्रतिवादीगण द्वारा विधिविरूद्ध रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है?	''प्रमाणित''
2	क्या प्रतिवादीगण द्वारा उपरोक्त वादग्रस्त भूमि पर वादी ने खंबे, फेंसिग को तोड़कर उसे दस हजार रूपये की क्षति पहुंचाई गई है ?	''प्रमाणित''
3	क्या वादी प्रतिवादीगण से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने की अधिकारी है ?	''प्रमाणित''
4	सहायता एवं व्यय ?	वादिनी का वादपत्र निर्णय की कंडिका—14 के अनुसार स्वीकार किया गया है।

वादप्रश्न कमांक-01 लगा. 3 का निराकरणः-

- 6. वादप्रश्न क.1 लगा. 3 एक—दूसरे से संबंधित हैं। साक्ष्य की पुनरावृत्ति नहीं हो, इस कारण तीनों वादप्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 7. वादी सोनारिनबाई वा.सा.1 ने स्वयं के मुख्यपरीक्षण के शपथपत्र की साक्ष्य में बताया है कि भूमि ख.नं—425 / 2ख रकबा 2.12ए. एवं ख.नं—425 / 2ग रकबा 1. 02ए. कुल 3.13 डि. भूमि प.इ.नं—17 / 1 मौजा बैहर की उसके हक मालिकी एवं कब्जे की है, जिस पर उसका शांतिपूर्वक कब्जा है। दिनांक—30.01.16 को इन्द्रदास, सुमरनदास, सुन्दरदास, अमृतदास, दिनेशदास, गजेन्द्र, भुरूबाई, गीताबाई साक्षी की भूमि पर जबरन घुसकर भूमि की खुदाई करने लगे थे। साक्षी ने एवं उसके पुत्र ने उनकी भूमि पर खुदाई एवं ईंट बनाने के लिए मना किया था। दिनांक—14.05.16 को करीब 9:00 बजे प्रति.क.1 लगा. 16 वादिनी की भूमि पर आए थे। बाउण्डीवॉल में रूधान के सीमेंट के खम्बे तोड़ दिये थे एवं फेंसिंग लगे हुए तार को भी तोड़ दिया था। वादिनी ने नुकसान करने से मना किया था तो उक्त प्रतिवादीगण वादिनी को अश्लील गालियां देकर कहने लगे थे कि जमीन पर दिखोगे तो जान से मार डालेंगे। साक्षी ने 3.13 डि. भूमि उसके कब्जे में होना

4

बताया है। प्रतिवादीगण जबरदस्ती वादिनी को उसकी भूमि से बेदखल करना चाहते हैं।

- 8. बायाबाई वा.सा.2 ने वादिनी की साक्ष्य का समर्थन करते हुए स्वयं के मुख्यपरीक्षण के शपथपत्र की साक्ष्य में बताया है कि वादी का खेत एवं उक्त साक्षी का खेत कम्पाउण्डरटोला एवं बैगाटोला से लगा हुआ है। उक्त साक्षी मजदूरी का काम करती है। इस कारण वादिनी के खेत की सीमा को जानती है। प्रतिवादीगण वादिनी की जमीन पर कब्जा करने की धमकी दे रहे थे। दिलीप सिंह उर्फ रामिकशोर वा.सा.3 ने उसके मुख्यपरीक्षण के शपथपत्र की साक्ष्य में वादिनी की साक्ष्य का समर्थन करते हुए बताया है कि रजमा के लोग और वह मजदूरी करने बैहर आते हैं। साक्षी मई 2016 में वादिनी के घर पर मजदूरी करता था तथा अभी भी मजदूरी का काम करता है। साक्षी ने वादिनी का खेत देखा है। वादिनी के खेत में इस साक्षी ने सुखदेव के साथ सीमेन्ट के पांच खम्बे लगाकर तार फेंसिंग की थी।
- 9. बादिनी ने दस्तावेजी साक्ष्य में विवादित भूमि का वर्ष 2014—15 का खसरा प्रदर्श पी—1, वर्ष 2015—16 का खसरा प्रदर्श पी—2, नजरी नक्शा प्रदर्श पी—3, विवादित भूमि का नक्शा प्रदर्श पी—4 एवं मौके के छायाचित्र एवं ऋण पुस्तिका की छायाप्रति प्रस्तुत की।
- 10. गीताबाई प्र.सा.1 ने उसके मुख्यपरीक्षण के शपथपत्र की साक्ष्य में वादिनी की साक्ष्य का खण्डन करते हुए बताया है कि उसके एवं उसके परिवार के सदस्यों द्वारा वादिनी की भूमि से लगे ख.नं—287/1क/1 रकबा 31.994 है. भूमि में से जो कि शासकीय मद की भूमि है पर कब्जा कर 30—35 वर्ष पूर्व से शांतिपूर्वक कास्त करते हुए चले आ रहें है। साक्षी के कब्जे वाली शासकीय मद की भूमि से होकर वादिनी विवादित भूमि पर जाती है। साक्षी एवं उसके परिवार के सदस्यों के द्वारा वादिनी की विवादित भूमि ख.नं—425/2 रकबा 2.12 ए., ख. नं—425/2ग रकबा 1.02ए भूमि पर कभी भी प्रवेश नहीं किया है। विवादित भूमि की मिट्टी से ईंट का निर्माण कार्य नहीं किया है। वादिनी एवं उसका पति झगड़ालू प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। वादिनी ने साक्षी के कब्जे वाली भूमि को हड़पने के लिए प्रतिवादीगण को झूठे प्रकरण में फंसाकर शासकीय भूमि से बेदखल कर दिया। उक्त भूमि पर कब्जा करने के लिए यह दावा पेश किया है। गीताबाई प्र. सा.1 की साक्ष्य का समर्थन दुलीचंद प्र.सा.2, फूलकली प्र.सा.3 ने उनके मुख्यपरीक्षण के शपथपत्र की साक्ष्य में किया है। प्रतिवादीगण ने उनकी साक्ष्य के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। प्रतिवादीगण ने उनकी साक्ष्य के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। प्रतिवादीगण ने उनकी साक्ष्य के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। प्रतिवादीगण ने उनकी साक्ष्य के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।

प्रश्नाधीन प्रकरण में वादिनी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श पी-1 एवं प्रदर्श पी-2 के खसरा पांचसाला में विवादित भूमि पर वादिनी का नाम स्वामी एवं आधिपत्यधारी के रूप में दर्ज है। प्र.सा.1 ने वादिनी की विवादग्रस्त भूमि के पास स्थित भूमि ख. नं. 287 / 1क / 1 रकबा 31.994 है. शासकीय मद की भूमि पर स्वयं का आधिपत्य बताया है। उक्त साक्षी ने वादिनी की भूमि पर किसी प्रकार से हस्तक्षेप करने से इंकार किया है। विवादग्रस्त भूमि राजस्व दस्तावेजों में वादिनी के नाम पर दर्ज है, इस कारण वादिनी की भूमि पर प्रतिवादीगण को विधि-विरूद्ध हस्तक्षेप करने से रोका जाना उचित दर्शित होता है। वादिनी ने प्रतिवादीगण द्वारा तोड़े गए खम्बे, फेंसिंग से 10,000 / - रूपये की क्षति होना बताया है। वादिनी ने विवादग्रस्त भूमि पर से उखाड़े गए खम्बे, तार फेंसिंग एवं विवादित स्थल पर बनाई गई ईंटो के फोटोग्राफ प्रस्तुत किये हैं। उक्त फोटोग्राफों को देखने से ही यह दर्शित हो रहा है कि घटनास्थल पर लगी वादिनी की तार फेंसिंग, खम्बे उखाड़कर फेंके गए हैं एवं विवादित स्थल पर ईंटो का निर्माण किया है। वादिनी ने उसे खम्बे, फेंसिंग से हुए नुकसान से 10,000 / – रूपये की क्षति होना बताया है। प्रतिवादीगण ने प्रकरण में यह प्रमाणित नहीं किया है कि उन्होंने वादिनी की विवादग्रस्त भूमि पर लगी तार की फेंसिंग एवं खम्बे उखाड़कर नहीं फेंके थे एवं घटनास्थल पर ईंटो का निर्माण नहीं किया था। इस कारण यह प्रमाणित माना जाता है कि प्रतिवादीगण ने वादिनी के विवादग्रस्त भूमि पर लगे वादिनी के खम्बे फेंसिंग को तोड़कर विवादग्रस्त भूमि पर ईंटो का निर्माण किया था, जिससे वादिनी को 10,000 / - रूपये की क्षति हुई है। वादिनी उसकी साक्ष्य से वादप्रश्न क-1 लगा. 3 को अपने पक्ष में प्रमाणित करने में सफल रही है 🔷

वादप्रश्न कमांक-4 सहायता एवं व्यय

12. वादिनी प्रकरण की उपरोक्त विवेचना में भूमि ख.नं—425/2ख रकबा 2. 12/0.857, ख.नं. 425/2ग रकबा 1.02/0.412 मौजा बैहरमाल, प.ह.नंबर 17/1 रा.नि.म. व तह. बैहर, जिला बालाघाट की भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा हस्तक्षेप करने एवं विवादग्रस्त भूमि पर वादी के खंबे, फेंसिंग को तोड़कर उसे 10,000/—रूपये की क्षति पहुंचाने के संबंध में उसका वादपत्र प्रमाणित करने में सफल रही है। परिणामस्वरूप वादिनी का वादपत्र स्वीकार कर निम्न आशय की डिकी पारित की जाती हैं:—

- 1— यह घोषित किया जाता है कि प्रतिवादीगण, वादिनी के स्वामित्व की ख. नं—425/2ख रकबा 2.12/0.857, ख.नं. 425/2ग रकबा 1.02/0.412 मौजा बैहरमाल, प.ह.नंबर 17/1 रा.नि.म. व तह. बैहर, जिला बालाघाट की भूमि में विधि—विरुद्ध रूप से हस्तक्षेप नहीं करें ना किसी अन्य से करावें।
- 2— यह प्रमाणित माना जाता है कि प्रतिवादीगण ने वादिनी की वादग्रस्त भूमि पर लगी फेंसिंग, खंबे तोड़कर वादिनी को 10,000/—रूपये का नुकसान कारित किया था।
- 3— यह प्रमाणित माना जाता है कि वादिनी, प्रतिवादीगण से 10,000 / —रूपये क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने की अधिकारी है।
- 4— यह घोषित किया जाता है कि प्रतिवादीगण, वादिनी की क्षतिपूर्ति की 10,000 / रूपये की राशि निर्णय दिनांक से 2 माह की अवधि में अदा करें।
- 5— प्रतिवादीगण, वादिनी का वाद व्यय वहन करेंगे।
- 6— अभिभाषक शुल्क नियामानुसार देय होगी।

तदानुसार आज्ञप्ति बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

सही / –
(दिलीप सिंह)
द्वितीय व्य0न्याया0 वर्ग–1,
तहसील बैहर, जिला बालाघाट

मेरे बोलने पर टंकित।

- सही / — (दिलीप सिंह)
या० वर्ग−1, द्वितीय व्य०त्याया० वर्ग−1, तहसील बैहर, जिला बालाघाट